संख्या-58/2018/2938/58-2018-70/2017

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2018**

विषय :- उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-2411/58-2018-70/2017, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम/सरल बनाये जाने की दृष्टि से गठित समिति की बैठक् दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-625/58-1-2002-100(3)/2002, दिनांक 17 अप्रैल, 2002 को अतिक्रमित करते हुए कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेन्सधारी से सूचना मांगी जायें :-

1- आवेदन-पत्र नियमावली में दिये गये प्रपत्र पर साफ-साफ भरा हो तथा उक्त प्रपत्र में उल्लिखित सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

2- लाइसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क कोषागार में जमा किये जाने की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।

3- भवन सुदृढ़ता प्रमाण-पत्र के लिए कम से कम किसी डिग्रीधारक सिविल अभियन्ता से जो कि सक्षम संस्था में पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।

4- मशीनरी सुदृढ़ता एवं कार्यशीलता तथा अवशीतन क्षमता का प्रमाण-पत्र जो कम से कम किसी ऐसे डिग्रीधारक मैकेनिकल/रेफ्रिजरेशन अभियन्ता से, जो सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।

5- शीतगृह के भवन की मशीनरी का आग, ब्रेकडाउन(चाहे यान्त्रिक एवं अन्य प्रकार का हो) या किसी प्रकार से होने वाली क्षति के लिए हो, के लिए गत वर्ष कराई गयी बीमा पॉलिसी कवर नोट की सत्यापित प्रति।

6- शीतगृह संचालन के लिए आवश्यक विद्युत लोड स्वीकृत हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन हेतु लाइसेन्सधारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र पर्याप्त माना जाय।

7- शीतगृह की क्षमता के अनुसार शीतगृह पर अग्नि शमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में प्रमाण-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यदि शीतगृह पिछले वर्ष भण्डारित आलू में कोई क्षति हुई हो तो उसके संबंध में सूचना।

9- यदि शीतगृह पार्टनरशिप में चलाया जा रहा हो तो पार्टनरशिप के लिए पावर आफ एटार्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र हस्ताक्षरित हो तथा यदि लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत चलाया जा रहा हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र साथ ही इस आशय की भी अण्डरस्टेकिंग दी जाय कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवेदन की तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

10- शीतगृह स्वामी शीतगृहों का नवीनीकरण 01 वर्ष अथवा 05 वर्ष के लिए जारी प्रक्रिया के अनुसार ही कराये जायेंगें।

11- भवन सुदृढ़ीकरण में शीतगृह भवन, मशीनरी तथा लकड़ी की रैक्स, बांस आदि की मरम्मत का प्रमाण-पत्र।

12- शीतगृह के नवीनीकरण के लिए अन्तिम विद्युत बिल के भुगतान की रसीद।

13- उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

14- आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आलू भण्डारण के समय शीतगृहों द्वारा पावती रसीद जारी की जाय, जिसमें भण्डारण प्रभार, भण्डारण की अवधि (15 फरवरी, 30 नवम्बर तक) का उल्लेख करते हुए शीतगृह के सूचना पट पर भी अंकित की जाय।

15- शीतगृहों में आलू भण्डारण से पूर्व जारी किये जाने वाल किसान अधिकार पत्र में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी का सी0यू0जी0 नम्बर तथा जिला उद्यान अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित किया जाय।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश सं0-3532/58-1-98-100(28)/98, दिनांक 16 अक्टूबर, 1998 में दी गयी समयावधि अनुसार नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया तथा नये कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के प्रकरणों का निस्तारण समयानुसार सुनिश्चित किया जाय।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)

विशेष सचिव।

<u>संख्या-58/2018-2938(1)/58-2018, तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0,2-सप्रू मार्ग, लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर।

3- उप निदेशक, आलू, निदेशालय उद्यान।

4- समस्त मण्डलीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- अध्यक्ष, उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (द्वारा निदेशक, उद्यान)

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in